2018/00117

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री साधुराम पुत्र श्री बुधराम गांव चक बी पोस्ट पतरोडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर		लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 74 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 19.9.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर "Sirohi Merger Agreement" Title of- Which was effective from 08 Nov.1948 between Government Governor General of India and highness The Maharana of Sirohi. And Ministry of Law notification No. F.O. 84 dated 25 January 1950 "The State Merger (Bombay) order 1950" Title of- The area comparison in the following village in the Abu Road an Dilwada Tehsil of Sirohi district No. 01 to 89. के संबंधी सूचना की प्रमाणित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, सिरोही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 बी.पी.एल. होने से जमा नहीं कराये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 19.9.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि "Sirohi Merger Agreement" Title of- Which was effective from 08 Nov.1948 between Government Governor General of India and highness The Maharana of Sirohi. And Ministry of Law notification No. F.O. 84 dated 25 January 1950 "The State Merger (Bombay) order 1950" Title of- The area comparison in the following village in the Abu Road an Dilwada Tehsil of Sirohi district No. 01 to 89. से संबंधित चाही गई समस्त सूचना उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। एवं पत्र क्रमांक 337 दिनांक 20.11.18 से सूचित किया है कि रेकर्ड ढूंढा जा रहा है इस बात को 1 माह से अधिक का समय हो चुका है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनुपमा जोरवाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner